"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113] रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 मई 2012—वैशाख 24, शक 1934

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 01-60/2008/10-1/वन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम, 2012 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो सेवा/पद में भर्ती के लिए शासन द्वारा सशक्त हो या इसमें इसके पश्चात् सशक्त किया जाये;

   (ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

   (ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, सीधी भर्ती के लिये शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर या तो स्थाई या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शित है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये.

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) एवं खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

(5) मेरिट के आधार पर पदों पर सीधी भर्ती के लिए मापदण्ड, शासन द्वारा विहित किये जायेंगे, किन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, इस प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित करेगा, जो इन मापदण्डों को ध्यान में रखेगा या शासन के अनुमोदन के पश्चात् अन्य उपयुक्त मापदण्ड अपनायेगा.

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती हेतु पात्रता की शर्तें.**— परीक्षा/चयन में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(एक) **आयु :—**

(क) परीक्षा/चयन के प्रारम्भ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्तियों सहित ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की

कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते की इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छ: माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा-मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं;

(5) अवकाश रिक्तियों पर छ: माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवा-मुक्त किये गये अधिकारी;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(च) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, के लिए उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों की दशा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

टीप - (1) उपरोक्त खण्ड (घ) (एक) एवं (घ) (दो) में उल्लिखित रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन

के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे.

(2) किसी भी अन्य मामले में, ये आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएंगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(ट) उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त भी, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं.—** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा, की अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है.

(तीन) **फीस.—** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.—** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.—** चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.—**

(1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :—** नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य समाविष्ट होंगे.

(एक) सेवा में भरती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर शासन के परामर्श से निर्धारित करे.

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी.

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती :—**

(एक) सेवा में भरती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए.

(दो) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के द्वारा किया जायेगा.

(तीन) चयन समिति, समुचित समय अंतरालों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी.

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप-नियम (3) के

अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा.

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे.

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है, कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार आरक्षण होगा.

12. **समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **परिवीक्षा :—** सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट सदस्य समाविष्ट होंगे:

परन्तु, इस उप-नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा.

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों से होगी, जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी.

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमायें) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा.

15. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये पात्रता की शर्तें.—** समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस को उन पदों पर जिससे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों

पर (चाहे मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो, और जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों.

स्पष्टीकरण :— पदोन्नति के लिए पात्रता की संगणना की रीति :—

(1) संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवा फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) पदोन्नति के विषय में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान लागू होंगे.

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.—**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची, चयन सूची के तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी.

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक चयन सूची के तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

स्पष्टीकरण :— ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

17. **चयन सूची.—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची, सामान्यत: इसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई चयन सूची में आये हों.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो.

19. **परिवीक्षा.—** सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

20. **निर्वचन.—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा. जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.—** इन नियमों में की गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसे रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे उचित एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों में की, कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन.—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, सचिव.

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
	स्थाई	अस्थाई	योग			
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
अधीक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	5	1	6	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300-34800	4300
अधीक्षक संरक्षक कार्यालय	7	0	7	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300-34800	4300
लेखा अधीक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	10	0	10	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300-34800	4200
लेखा अधीक्षक वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	7	0	7	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300-34800	4200
सहायक ग्रेड — 1 / प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	24	2	26	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200-20200	2800
सहायक ग्रेड — 1 / वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	51	0	51	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200-20200	2800
लेखापाल / सहायक ग्रेड — 2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	48	3	51	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200-20200	2400
लेखापाल / सहायक ग्रेड — 2 वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	504	0	504	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200-20200	2400
सहायक ग्रेड — 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	52	3	55	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200-20200	1900
सहायक ग्रेड — 3 वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	681	0	681	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200-20200	1900
वरिष्ठ निज सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	3	0	3	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300-34800	4400
निज सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	15	0	15	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300-34800	4300
निज सहायक वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	14	0	14	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300-34800	4300
शीघ्र लेखक — 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	15	2	17	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200-20200	2800
शीघ्र लेखक — 3 वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	45	0	45	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200-20200	2800
स्टेना टायपिस्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	0	1	1	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200-20200	1900

सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
	स्थाई	अस्थाई	योग			
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
सहायक प्रोग्रामर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	2	1	3	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300-34800	4300
सहायक प्रोग्रामर वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	7	0	7	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300-34800	4300
डाटा एन्ट्री आपरेटर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	30	4	34	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200-20200	2400
डाटा एन्ट्री आपरेटर वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	73	0	73	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200-20200	2400

अनुसूची–दो

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	
			सीधी भर्ती द्वारा नियम (6) (1) (क) देखिए	पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वन विभाग	छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा			
	अधीक्षक :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	06	–	100 प्रतिशत
	अधीक्षक :– संरक्षक कार्यालय	07	–	100 प्रतिशत
	लेखा अधीक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	10	–	100 प्रतिशत
	लेखा अधीक्षक वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	07	–	100 प्रतिशत
	सहायक ग्रेड – 1 *प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय*	26	–	75 प्रतिशत 25 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से
	सहायक ग्रेड – 1/ वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	51	–	तदैव
	लेखापाल / सहायक ग्रेड – 2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	51	–	100 प्रतिशत
	लेखापाल / सहायक ग्रेड – 2 वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	504	–	100 प्रतिशत
	सहायक ग्रेड – 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	55	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
	सहायक ग्रेड – 3 वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	681	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
	वरिष्ठ निज सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	03	–	100 प्रतिशत
	निज सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	15	–	100 प्रतिशत
	निज सहायक वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	14	–	100 प्रतिशत
	शीघ्र लेखक – 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	17	पदोन्नति हेतु उपलब्ध स्टेनो टायपिस्ट की संख्या को छोड़कर, शेष पदों का 100 प्रतिशत	पदोन्नति हेतु उपलब्ध अर्ह स्टेनो टायपिस्ट की संख्या
	शीघ्र लेखक – 3 वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	45	तदैव	तदैव
	स्टेनो टायपिस्ट. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	01	100 प्रतिशत	–
	सहायक प्रोग्रामर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	03	100 प्रतिशत	–
	सहायक प्रोग्रामर वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	07	100 प्रतिशत	–
	डाटा एन्ट्री आपरेटर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	34	100 प्रतिशत	–
	डाटा एन्ट्री आपरेटर वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	73	100 प्रतिशत	–

टीप :– सहायक ग्रेड – 1 के 25 प्रतिशत पद सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित करते हुए, ऐसे सहायक ग्रेड – 2 से भरे जाएंगे, जो स्नातक हों और पांच वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों।

अनुसूची – तीन

(नियम – 8 देखिए)

विभाग का नाम.	सेवा/पदों का नाम,	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वन विभाग	छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा सहायक ग्रेड – 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए । 2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तथा हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।	मुख्यालय हेतु :– मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/अराजपत्रित) क्षेत्रीय कार्यालय हेतु :– 1) वन संरक्षक (वृत्त कार्यालय) 2) वनमण्डलाधिकारी (वमण्डल कार्यालय)
	शीघ्र लेखक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	18 वर्ष	–तदैव–	1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 10+2 परीक्षा या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो । 2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परिषद् से निम्नलिखित प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए :– (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखक में 100 शब्द प्रति मिनट की गति तथा हिन्दी मुद्रलेखन में कम्प्यूटर में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रमाणपत्र पाठ्यकम उत्तीर्ण । (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखक में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से तथा अंग्रेजी मुद्रलेखन में कम्प्यूटर में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रमाणपत्र पाठ्यकम उत्तीर्ण । (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) में यथा विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर टायपिंग का प्रमाणपत्र पाठ्यकम उत्तीर्ण । 3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा 10000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।	मुख्यालय हेतु :– मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/अराजपत्रित) क्षेत्रीय कार्यालय हेतु :– 1) वन संरक्षक (वृत्त कार्यालय) 2) वनमण्डलाधिकारी (वमण्डल कार्यालय)
	स्टेनो टायपिस्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय	18 वर्ष	–तदैव–	1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 10+2 या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।	मुख्यालय हेतु :– मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/अराजपत्रित)

				2) हिन्दी स्टेनो टायपिस्ट के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति तथा हिन्दी मुद्रलेखन में कम्प्यूटर में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण । 3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।	
	सहायक प्रोग्रामर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	18 वर्ष	–तदैव–	1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। 2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।	मुख्यालय हेतु :– मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/अराजपत्रित) क्षेत्रीय कार्यालय हेतु :– 1) वन संरक्षक (वृत्त कार्यालय) 2) वनमण्डलाधिकारी (वनमण्डल कार्यालय)
	डाटा एन्ट्री आपरेटर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय वृत्त एवं वन मंडल कार्यालय	18 वर्ष	–तदैव–	1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए । अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा 10 वीं तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यकम उत्तीर्ण होना चाहिए । 2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।	मुख्यालय हेतु :– मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/अराजपत्रित) क्षेत्रीय कार्यालय हेतु :– 1) वन संरक्षक (वृत्त कार्यालय) 2) वनमण्डलाधिकारी (वनमण्डल कार्यालय)

अनुसूची — चार
(नियम — 14 देखिए)

विभाग का नाम	*पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जानी है*	*पदोन्नति के लिए अर्हित न्यूनतम कालावधि*	*पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है*	*विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 14 देखिए)*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
वन विभाग	लेखा अधीक्षक	लेखा अधीक्षक के रूप में 03 वर्ष की नियमित सेवा	अधीक्षक	मुख्यालय एवं राज्य स्तर की पदोन्नति के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा नामांकित किये गये अनुसार निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी :— अ. प्र. मु. व. सं. / मु. व. सं. — 1 वन संरक्षक — 2
	सहायक ग्रेड — 1	सहायक ग्रेड — 1 के रूप में 02 वर्ष की नियमित सेवा	लेखा अधीक्षक	तदैव
	लेखापाल / सहायक ग्रेड — 2	1. वरिष्ठता के आधार पर, सहायक ग्रेड—2 के रूप में 03 वर्ष की नियमित सेवा। 2. स्नातक हो तथा कनिष्ठ सहायक ग्रेड—2 के रूप में 05 वर्ष की नियमित सेवा एवं सीमित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण।	सहायक ग्रेड — 1	मुख्यालय में पदोन्नति के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा नामांकित किए गए अनुसार निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी :— अ. प्र. मु. व. सं. / मु. व. सं. — 1 वन संरक्षक — 2 वृत्त स्तरीय पदोन्नति के लिए वन संरक्षक द्वारा नामांकित किए गए अनुसार निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी :— वन मंडलाधिकारी — 2 सहायक वन संरक्षक — 1
	सहायक ग्रेड — 3	सहायक ग्रेड—3/स्टेनो टायपिस्ट के रूप में 05 वर्ष की नियमित सेवा	सहायक ग्रेड—2	— तदैव —
	स्टेनो टायपिस्ट	स्टेनो टायपिस्ट के रूप में 05 वर्ष की नियमित सेवा	शीघ्र लेखक	1. मुख्यालय में पदोन्नति के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा नामांकित किए गए अनुसार निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी :— अ. प्र. मु. व. सं. / मु. व. सं. — 1 वन संरक्षक — 2
	शीघ्र लेखक	शीघ्र लेखक के रूप में 05 वर्ष की नियमित सेवा	निज सहायक	मुख्यालय एवं राज्य स्तर की पदोन्नति के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा नामांकित किए गए अनुसार निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी :— अ. प्र. मु. व. सं. / मु. व. सं. — 1 वन संरक्षक — 2

	निज सहायक	निज सहायक के रूप में 05 वर्ष की नियमित सेवा	वरिष्ठ निज सहायक	— तदैव —
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 05 वर्षो की नियमित सेवा	सहायक ग्रेड — 3	मुख्यालय में पदोन्नति के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा नामांकित किए गए अनुसार निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी :— अ. प्र. मु. व. सं. / मु. व. सं. — 1 वन संरक्षक — 2 वृत्त स्तरीय पदोन्नति के लिए वन संरक्षक द्वारा नामांकित किए गए अनुसार निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी :— वन मंडलाधिकारी — 2 सहायक वन संरक्षक — 1
	सहायक प्रोग्रामर	सहायक प्रोग्रामर के रूप में 10 एवं 20 वर्ष की नियमित सेवा	सहायक प्रोग्रामर का उच्चतम वेतनमान	मुख्यालय में समयमान वेतनमान के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा नामांकित किए गए अनुसार निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी :— अ. प्र. मु. व. सं. — 1 मु. व. सं. — 2 वृत्त स्तरीय समयमान वेतनमान के लिए वन संरक्षक द्वारा नामांकित किए गए अनुसार निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी :— वन मंडलाधिकारी — 2 सहायक वन संरक्षक — 1
	डाटा एन्ट्री आपरेटर	**डाटा एन्ट्री आपरेटर के रूप में 10 एवं 20 वर्ष की नियमित सेवा**	**डाटा एन्ट्री आपरेटर का उच्चतम वेतनमान**	—तदैव—

Raipur, the 14th May 2012

NOTIFICATION

No. F 01-60/2008/10-1/F.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment of the Chhattisgarh Class-III (Clerical Cadre) Forest Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement. :-**
   (1) These Rules may be called the Chhattisgarh Class-III (Clerical Cadre) Forest Service Recruitment Rules, 2012.
   (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :-** In these rules unless the context otherwise requires :—
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means such Authority who is empowered by the Government for the recruitment to the Service/Post or may be empowered hereinafter;
   (b) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule-11 of these rules;
   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;
   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;
   (e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified vide Notification No. F 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time ;
   (f) "Schedule" means the schedule appended to these rules ;
   (g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article-341 of the Constitution of India ;
   (h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article-342 of the Constitution of India ;
   (i) "Selection Committee" means the Selection Committee approved by the Government for Direct recruitment;
   (j) "Service" means the Chhattisgarh Class-III (Clerical Cadre) Forest Service;
   (k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application :-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these Rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of Service :-** The Service shall consist of the following persons, namely :—
   (1) Persons, who at the commencement of these Rules are holding substantively the post specified in Schedule-I;
   (2) Persons recruited to the service before the commencement of these Rules ; and
   (3) Persons recruited to the service in accordance w[illegible]visions [illegible]these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc. :-** The Classification of the service, the number of posts included in the service and scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Mode of Recruitment: -**

(1) Recruitment to the service after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment on the basis of competitive examination or by selection on the basis of merit & interview.

(b) By promotion of members of the Service as shown in column (2) of Schedule-IV.

(c) By transfer/deputation of persons who hold in substantive/substitutive capacity, such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) & (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Government with prior concurrence of the General Administrative Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For Direct recruitment to the posts on the basis of merit, criteria shall be prescribed by the Government but Appointing Authority shall have to constitute a selection Committee for the purpose who will look into these criteria or shall adopt other befitting criteria after the approval of the Government.

(6) At the time of recruitment the Provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), and the direction issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the service :-** All appointments to the service after the commencement of these Rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment :-** In order to be eligible to compete at the examination/selection a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) Age -

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III, and must not have attained the age as specified in column (4) of said Schedule, on the first day of January next following the date of Commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 (five) years, if a candidate belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Non-Creamy layer).

(c) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 (Ten) years to a woman candidate in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for the Appointment of woman) Rules, 1997.

The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the condition specified below;

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a temporary post, including work charged employees, person getting pay from contingency and person employed in Project Implementation Committee, applies for any other post should not be more than 38 years of age.

(iii) A Candidate who is "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (Seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation: The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent unit, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A Candidates who is an "Ex-Servicemen" shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation: The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(1) Ex-Servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on
   (i) completion of short term engagement;
   (ii) fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex-Personnel of madras Civil Unit;

(4) Officer (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short Service Regular Commissioned Officers;

(5) Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-Servicemen in validated out of Service;

(7) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-Servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of two years for those candidates who are holding Green Card under family planning programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to Five years in respect of superior caste partner of a couple awarded under the inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Caste and Backward Classes Welfare Department.

(h) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the Shaheed Rajiv Pandey award, Gundadhoor Award and Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award Holder Young Candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age who are employees of Chhattisgarh State Corporations / Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years, but, in no case their age should exceed 38 years and the instruction issued from time to time by General Administration Department regarding age limit shall be applicable.

Note:-

(1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in clause (d) (i) and (d) (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case, will these age limit be relaxed, departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination/selection.

(k) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(2) **Educational qualification:-** The candidates must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III.

(3) **Fee :-** The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification :-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Appointing authority's decisions about the eligibility of the candidate shall be final :-** The decisions of the Appointing authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority, shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination / Selection: -**

(1) ***Direct recruitment by competitive examination*** - Appointing Authority shall constitute a selection committee comprising of three members.

(i) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority in consultation with the Government from time to time determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) ***Direct recruitment by selection -***

(i) The Selection for recruitment to the service shall be made at such intervals as determined by Appointing authority.

(ii) The Selection of candidates shall be made by the selection committee by interviewing them.

(iii) Selection Committee will be constituted by Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribe declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancics reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (3).

(6) 30% Posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the competent authority that there is a possibility, that the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Classes, may not be available in sufficient number, the competent authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward Classes.

(8) Reservation for Handicapped candidates shall be in accordance with the direction of the General Administration Department.

12. **List of candidates Recommended by the Committee :-**

(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the selection committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who, though not qualified by that standard, but declared by the selection committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary that, the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Probation :-** Every person appointed in service through direct recruitment shall be on probation for a period of two years.

14. Appointment by Promotion :-

(1) There shall be constituted a committee consisting of the members specified in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the purpose of constitution of the committee under this sub-rule, the provision of section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be as per the Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(4) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Services (Reservation in Promotion and limits on the extent of zone of consideration) Rules, 2003.

15. Conditions of eligibility for promotion/transfer: -

The committee shall consider the cases of all persons, who on the day of 1st January of that year, had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made as specified in Column (3) of Schedule-IV or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation -

(1) Manner of computation for eligibility for promotion - The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) In the matter of promotion, the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003 shall be applicable.

(3) Promotion will be done as per the Reservation Roster prescribed by the Government.

***16.* Preparation of list of suitable Candidate :-**

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule - 15 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(3) As Per the provisions of Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 the name of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation: The person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

***17.* Select List :-**

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the Select List for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (4) of the said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be inforce for the period of one year from the date of its preparation;

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and he may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the Service from the Select List :-

(1) Appointment of the employees included in the Select List to posts brone on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such persons appear in the select list prepared in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Sewa (Padonnati) Niyam, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the selection Committee before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. ***Probation :*** - Every person directly recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. ***Interpretation :*** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

21. ***Relaxation :-*** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided, that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him, than that provided in these rules.

22. Saving :- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time, in this regard.

23. Repeal :- All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
B. S. ANANT, Secretary.

SCHEDULE - I
(See Rule- 5)

Name of the Post included in Service	Number of posts			Classification	Revised Pay Band	Grade pay
	Permanent	Temporary	Total			
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
Superintendent Office of the Principal chief Conservator of Forest	5	1	6	Class Three Clerical Cadre	9300-34800	4300
Superintendent Conservator Office	7	0	7	Class Three Clerical Cadre	9300-34800	4300
Accounts Superintendent Office of the Principal Chief Conservator of Forest	10	0	10	Class Three Clerical Cadre	9300-34800	4200
Accounts Superintendent Circle & Division offices	7	0	7	Class Three Clerical Cadre	9300-34800	4200
Assistant Grade-1 Office of the Principal Chief Conservator of Forest	24	2	26	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2800
Assistant Grade-1 Circle & Division offices	51	0	51	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2800
Accountant/Assistant Grade-2 Office of the Principal Chief Conservator of Forest	48	3	51	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2400
Accountant/Assistant Grade-2 Circle & Division offices	504	0	504	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2400
Assistant Grade-3 Office of the Principal Chief Conservator of Forest	52	3	55	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	1900
Assistant Grade-3 Circle & Division offices	681	0	681	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	1900
Senior Personal Assistant Office of the Principal chief Conservator of Forest	3	0	3	Class Three Clerical Cadre	9300-34800	4400
Personal Assistant Office of the Principal chief Conservator of Forest	15	0	15	Class Three Clerical Cadre	9300-34800	4300
Personal Assistant Circle & Division offices	14	0	14	Class Three Clerical Cadre	9300-34800	4300
Stenographer Grade-III Office of the Principal chief Conservator of Forest	15	2	17	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2800
Stenographer Grade-III Circle & Division offices	45	0	45	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2800
Steno Typist Office of the Principal chief Conservator of Forest	0	1	1	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	1900
Assistant Programmer Office of the Principal chief Conservator of Forest	2	1	3	Class Three Clerical Cadre	9300-34800	4300
Assistant Programmer Circle & Division offices	7	0	7	Class Three Clerical Cadre	9300-34800	4300
Data Entry Operator Office of the Principal chief Conservator of Forest	30	4	34	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2400
Data Entry Operator Circle & Division offices	73	0	73	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2400

Schedule –II

Name of the Department	Name of the Post included in the Service	Number of total posts	Percentage of the posts to be filled	
			By Direct Recruitment See Rule 6 (1) (a)	By Promotion See Rule 6 (1) (b)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Forest Department	**Chhattisgarh Class Three (Clerical Cadre) Forest Service**			
	Superintendent Office of Principal chief Conservator of Forest	06	-	100 %
	Superintendent Conservator Office	07	-	100 %
	Accounts Superintendent Office of Principal chief Conservator of Forest	10	-	100 %
	Accounts Superintendent Circle & Division offices	07	-	100 %
	Assistant Grade-1 / Office of Principal chief Conservator of Forest	26	-	75 % 25 % through limited Departmental Examination
	Assistant Grade-1 / Circle & Division offices	51	-	- - „ - -
	Accountant / Assistant Grade-2 Office of Principal chief Conservator of Forest	51	-	100 %
	Accountant / Assistant Grade-2 Circle & Division offices	504	-	100 %
	Assistant Grade-3 Office of Principal chief Conservator of Forest	55	75 %	25 %
	Assistant Grade-3 Circle & Division offices	681	75 %	25 %
	Senior Personal Assistant Office of Principal chief Conservator of Forest	03	-	100 %
	Personal Assistant Office of Principal chief Conservator of Forest	15	-	100 %
	Personal Assistant Circle & Division offices	14	-	100 %
	Stenographer Grade-III Office of Principal chief Conservator of Forest	17	Except the number of Steno Typist available for promotion, 100% of rest posts.	The number of available qualified Steno Typist for promotion.
	Stenographer Grade-III Circle & Division offices	45	------do-----	------do-----
	Steno Typist Office of Principal chief Conservator of Forest	01	100 Percent	-
	Assistant Programmer Office of Principal chief Conservator of Forest	03	100 Percent	-
	Assistant Programmer Circle & Division offices	07	100 Percent	-
	Data Entry Operator Office of Principal chief Conservator of Forest	34	100 Percent	-
	Data Entry Operator Circle & Division offices	73	100 Percent	-

Note: 25 Percent posts of Assistant Grade-1 will be filled [illegible] Departmental Examination (of) such Assistant Grade-2 who are Graduates & have complete[illegible] [illegible].

SCHEDULE –III
(See Rule – 8)

Name of the Department	Name of Service / Posts	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational Qualification	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Forest Department	**Chhattisgarh Class-III (Clerical Cadre) Forest Service** **Assistant Grade-III** Office of the Principal Chief Conservator of Forest, Circle and Division offices	18 Years	30 years (35 Years for permanent residents of Chhattisgarh)	1) Should have passed Higher Secondary Examination (10+2) from any recognized Board. 2) Should possess One Year Diploma / Certificate in Data Entry Operator / Programming from any recognized institution and Should have Speed of 5000 Key Depression per hour in Hindi Computer Typing.	**For Head Quarter -** CCF (Administration/Non-Gazetted) **For Field Offices -** 1) CF (Circle Office) 2) DFO (Division Office)
	Stenographer Office of Principal Chief Conservator of Forest, Circle & Division offices	18 Years	- - do - -	1) Should have passed Higher Secondary Examination **or** 10+2 Examination **or** 1st Year examination in Bachelor Degree from any recognized Board/University 2) Should possess following Certificate from any recognized Board/Institution or Shorthand Typing Council:- (a) Passed certificate course of Hindi Shorthand with speed of 100 words per minute and Hindi typing in computer with speed of 30 words per minute for Hindi Stenographer. (b) Passed certificate course of English Shorthand with speed of 100 words per minute and English Typing in computer with speed of 35 words per minute for English Stenographer. (c) Passed certificate course of Hindi & English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bilingual stenographer. 3) Should possess One Year Diploma / Certificate in Data Entry Operator / Programming from any recognized institution and should have speed of 10000 Key Depression per hour.	**For Head Quarter -** CCF (Administration/Non-Gazetted) **For Field Offices -** 1) CF (Circle Office) 2) DFO (Division Office)

Name of the Department	Name of Service / Posts	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational Qualification	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Steno Typist (Office of Principal chief Conservator of Forest,	18 Years	- - do - -	1) Should have passed Higher Secondary Examination **or** 10+2 Examination **or** 1st Year Examination in Bachelor Degree from any recognized Board/University 2) Passed certificate course of Hindi Shorthand with speed of 60 words per minute and Hindi typing in Computer with speed of 25 words per minute for Hindi Steno Typist.. 3) Should Possess One Year Diploma / Certificate in Computer Data Entry/ Programming from any recognized institution and should have speed of 5000 Key depression per hour.	**For Head Quarter -** CCF (Administration/Non-Gazetted)
	Assistant Programmer Office of Principal chief Conservator of Forest, Circle & Division offices	18 Years	- - do - -	1) Should have passed Graduation Degree from any recognized University. 2) Should have passed P.G.D.C.A. Course from any recognized Institution/ University.	**For Head Quarter -** CCF (Administration/Non-Gazetted) **For Field Offices -** 1) CF (Circle Office) 2) DFO (Division Office)
	Data Entry Operator Office of Principal chief Conservator of Forest, Circle and Division Offices	18 Years	- - do - -	1) Should have passed Higher Secondary Examination (10+2) from any recognized Board. **or** Should have passed Class 10th from any recognized Board and 3 years Diploma Course in any Subject from any recognized University. 2) One Year Diploma / Certificate in Data Entry Operator / Programming from any recognized Institution/University and have speed of 8000 Key depressions per hour in Hindi and English Data Entry.	**For Head Quarter -** CCF (Administration/Non-Gazetted) **For Field Offices -** 1) CF (Circle Office) 2) DFO (Division Office)

Schedule –IV
(See Rule – 14)

Name of the Department	Name of the Post from which promotion is to be made	Minimum period to Qualify for promotion	Name of post to which promotion is to be made	Name of the Members of Departmental Promotion Committee (See rule - 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Forest Department	Accounts Superintendent	03 Years regular Service as Accounts Superintendent	Superintendent	For Head Quarter and State level Promotion following Gazetted Officers as nominated by Principal Chief Conservator of Forest :- A.P.C.C.F. / C.C.F. - 01 C.F. - 02
	Assistant Grade-1	02 Years regular Service as Assistant Grade-1	Accounts Superintendent	- - do - -
	Accountant/ Assistant Grade-2	1. 03 Years regular Service as Assistant Grade-2 on the basis of Seniority. 2. Graduate and 05 Years regular Service as junior Assistant Grade-2 and Passing limited Departmental Examination	Assistant Grade-1	For Head Quarter Promotion Following Gazetted Officers as nominated by Principal Chief Conservator of Forest :- A.P.C.C.F. / C.C.F. - 01 Conservators - 02 For Circle level Promotion Following Gazetted Officers as nominated by Conservator of Forest :- D.F.O. - 02 A.C.F. - 01
	Assistant Grade-3	05 Years regular Service as Assistant Grade-3/ Stano Typist	Assistant Grade-2	- - do - -
	Steno Typist	05 Years regular Service as Steno Typist	Stenographer	For Head Quarter Promotion Following Gazetted Officers as nominated by Principal Chief Conservator of Forest :- A.P.C.C.F. / C.C.F. - 01 Conservators - 02
	Stenographer	05 Years regular Service as Stenographer	Personal Assistant	For Head Quarter and State level Promotion Following Gazetted Officers as nominated by Principal Chief Conservator of Forest :- A.P.C.C.F. / C.C.F. - 01 Conservators - 02
	Personal Assistant	05 Years regular Service as Personal Assistant	Senior Personal Assistant	- - do - -
	Fourth Class Employee	05 Years regular Service as Fourth Class Employee	Assistant Grade-3	For Head Quarter Promotion Following Gazetted Officers as nominated by Principal Chief Conservator of Forest :- A.P.C.C.F. / C.C.F. - 01 Conservators - 02 For Circle level Promotion Following Gazetted Officers as nominated by Conservator of Forest :- D.F.O. - 02 A.C.F. - 01

Name of the Department	Name of the Post from which promotion is to be made	Minimum period to Qualify for promotion	Name of post to which promotion is to be made	Name of the Members of Departmental Promotion Committee (See rule - 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Assistant Programmer	10 and 20 Years regular Service as Assistant Programmer	Upgraded pay scale Assistant Programmer	For Head Quarter Time Scale Following Gazetted Officers as nominated by Principal Chief Conservator of Forest :- A.P.C.C.F. / C.C.F. - 01 Conservator - 02 For Circle level Time Scale Following Gazetted Officers as nominated by Conservator of Forest :- D.F.O. - 02 A.C.F. - 01
	Data Entry Operator	10 & 20 Years regular Service as Data Entry Operator	Upgraded pay scale Data Entry Operator	- - do- -

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.